<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 696 / 07</u> संस्थापन दिनांक:-23 / 09 / 05 फाईलिंग नं. 753 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- मन्नूलाल पिता हजारीलाल उम्र 45 वर्ष, निवासी केसिया, थाना चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. बनवारी पिता हजारीलाल, **(दिनांक 27.06.2016 को निर्णीत)** उम्र ४० वर्ष, निवासी केसिया, थाना चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. राजेश पिता केपचंद, उम्र 30 वर्ष (दिनांक 10.12.2015 को फरार घोषित) निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा, थाना सारणी, जिला बैतूल (म.प्र.)<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 392, 411 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.06.2005 को समय 20:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत वर्माजी की दुकान के सामने बोड़खी आमला में एक सोने के मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी प्रमिला मालवीय को भय कारित करने का प्रयत्न किया अथवा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त चुरायी गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राजेश पिता केपचंद के विरूद्ध दिनांक 10.12.2015 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्त बनवारी पिता हजारीलाल के संबंध में दिनांक 27.06.2016 को निर्णय होषित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त मन्नूलाल पिता हजारीलाल के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फदियादी दिनांक 24.06.

2005 को शाम करीब 6 बजे अपनी दुकान से घर जा रही थी। तभी वर्मा जी की दुकान के सामने रोड पर एयर फोर्स तरफ से एक काले कलर की मोटर सायिकल पर दो लड़के आये और उसके बगल में मोटर सायिकल धीरे कर मोटर सायिकल चलाने वाले लड़के ने उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। उसके द्वारा उन्हें पकड़ने की कोशिश की गयी तो उन्होंने उसे धक्का मार दिया और कहा कि मार डालूंगा और दोनों लड़के उसका सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग गये। उसके मंगलसूत्री की कीमत करीब 6,000/— रूपये थी। उन लड़कों की उम्र करीब 25—25 वर्ष रही होगी। दोनों अज्ञात लड़कों ने उसका मंगलसूत्र छीनकर भाग गये।

- 4 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अज्ञात 2 व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क. 235/05 धारा 392 भा.दं.सं. में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम लेखबद्ध किये गये। रघुनाथ से एक सोने का मंगलसूत्र एवं तथा अभियुक्त बनवारी से एक लोहे का चाकू, जिंदा पीतल के 315 बोर के कारतूस 5 नग, एक मोटर सायिकल बजाज सीटी 100 चेचिस नंबर डीयूएफएयसी 40272 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। जप्तशुदा मंगलसूत्र की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर एक सोने का मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी सुशीला अतुलकर को भय कारित करने का प्रयत्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर चुरायी गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

- 7 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8 प्रमिलाबाई (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय दुकान से घर की ओर जा रही थी। तभी मोटर सायकिल से दो लड़के तेजी से आये। पीछे बैठे लड़के ने मंगलसूत्र छीन लिया। रूपलाल (अ.सा.—1) एवं गुलाब मालवीय (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वे दुकान पर बैठे हुए थे। तभी प्रमिला के चिल्लाने की आवाज आयी। जब प्रमिलाबाई (अ.सा.—4) के पास पहुंचे तो प्रमिला ने बताया कि दो लड़के मोटर सायकिल से आये और उसके गले का मंगलसूत्र छीनकर भाग गये। प्रमिला के द्वारा उसका मंगलसूत्र मोटर सायकिल में बैठे लड़कों द्वारा छीन लिया जाना बताया है। अनिरूद्ध गौर (अ.सा.—11) ने यह बताया है कि फरियादी प्रमिला के द्वारा मंगलसूत्र छीनने की सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा अपराध क. 233/05 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—4) लेख की गयी थी। इस प्रकार साक्षी प्रमिलाबाई (अ.सा.—4), रूपलाल (अ.सा.—1) एवं गुलाब मालवीय (अ.सा.—5) तथा अनिरूद्ध गौर (अ.सा.—11) के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी प्रमिला का मंगलसूत्र छीनकर लूटा गया था।
- 9 साक्षी प्रमिलाबाई (अ.सा.—4), रूपलाल (अ.सा.—1) एवं गुलाब मालवीय (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जो लड़के मोटर सायिकल से आये थे उनका वे लोग चेहरा नहीं देख पाये थे। प्रतिपरीक्षण में प्रमिलाबाई (अ.सा.—4) ने बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के नाम से लेख करायी थी। उसे आज तक यह जानकारी नहीं है कि उसके मंगलसूत्र को किसने छीना था। रूपलाल (अ.सा.—1) एवं गुलाब मालवीय (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि वे घटना के समय मौके पर नहीं थे। घटना के संबंध में कथन प्रमिला के बताये अनुसार कर रहे हैं।
- 10 प्रकरण में साक्षी दिलीप तापवाड़े (अ.सा.—2), छोटू वर्मा (अ.सा.—3), राहुल लोखंडे (अ.सा.—6), खुशालिसंह (अ.सा.—7), अशोक (अ.सा.—9), राजू (अ.सा.—10) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 11 अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है कि अभियुक्त मन्नूलाल के द्वारा घटना दिनांक को फरियादी प्रमिला का मंगलसूत्र छीनकर और उसे भय कारित कर लूट की गयी। इस संबंध में भी साक्ष्य का नितांत अभाव है

कि अभियुक्त मन्नूलाल ने फरियादी प्रमिला के आधिपत्य से चोरी गये मंगलसूत्र को चोरी का होना जानते हुए अपने आधिपत्य में रखा।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

- 12 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर एक सोने के मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी प्रमिला मालवीय को भय कारित करने का प्रयत्न किया अथवा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त चुरायी गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। फलतः अभियुक्त मन्नूलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 अथवा 411 भाठदंठसंठ के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायिकल बजाज सीटी 100 चेचिस नंबर डीयूएफएयसी 40272 के आवेदक / सुपुर्ददार बनवारी पिता हजारी निवासी केसिया थाना शाहपुर जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है एवं जप्तशुदा एक सोने का मंगलसूत्र आवेदिका / सुपुर्ददार प्रमिलाबाई पित गुलाब मालवीय निवासी बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया गया है तथा एक लोहे का चाकू, जिंदा पीतल के 315 बोर के कारतूस 5 नग, के संबंध में अंतिम आदेश अभियुक्त राजेश के संबंध में निर्णय घोषित करने समय किया जावेगा।
- 15 अभियुक्त मन्नूलाल द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 16 प्रकरण में अभियुक्त राजेश फरार है। अतः प्रकरण नष्ट न किये जाने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)